336

L

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक– /2018 निगरानी

निगरानी-4303/2018/विदिशा/भू.२८

1. भंवरलाल पुत्र शंकरलाल पालीवाल,
2. किशोरीलाल पुत्र शंकरलाल पालीवाल,

निवासीगण –ग्राम व पोस्ट मुगलसराय तहसील सिरौंज जिला विदिशा,म0 प्र0

श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा आज 3.7.018 को प्र. प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 17-7-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3.7.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

———आवेदकगण

बनाम

1. बालमुकुन्द पुत्र श्री भोजराज पालीवाल, निवासी – ग्राम मुगलसराय तहसील सिरौंज जिला विदिशा
2. अजुद्री प्रसाद (फौत) वारिस

अ. ब्रजेश पुत्र स्व श्री अजुद्री प्रसाद

ब. राजेश पुत्र श्री अजुद्री प्रसाद

स. दिनेश पुत्र श्री अजुद्री प्रसाद

समस्त निवासीगण – पालीवाल बाडा इन्द्या पार्क अशोकनगर (म.प्र.)

द. गीताबाई पुत्री श्री स्व श्री अजुद्री प्रसाद, निवासी –ग्राम पतखूरी, तहसील राढ जिला हमीरपुर (यु.पी.)

3. कमलकुमार पुत्र श्री ताराचन्द पालीवाल,

4.. जय प्रकाश पुत्र श्री ताराचन्द पालीवाल, निवासीगण– सिदूर नेस्ट अपार्टमेंट प्लॉट नं 3 चार बंगलें के बाजू गौरक्षण रोड अकोला महाराष्ट्र

5.. कमलाबाई (फौत) वारिस

अ. नित्यानंद उर्फ नितिन पुत्र श्री डालचंद पालीवाल,

ब. कुमुद पत्नी श्री प्रेमशंकर पुत्री स्व कमलाबाई

स. तारा पत्नी श्री इंदु कुमार पुत्री कमलाबाई

द प्रेमा पत्नी युवराज पुत्री स्व कमलाबाई

य ईश्वरचन्द पुत्र श्री डालचंद

ब दुर्गा पत्नी श्री सुरेश कुमार पुत्री कमलाबाई

घ मनोज कुमार पुत्र डालचंद, निवासीगण – वोडगॉव, तहसील अजुनीमाटे जिला गोदिया महाराष्ट्र

6.. गायत्रीबाई पुत्री मुन्नालाल पत्नी श्री दीपचंद पालीवाल, निवासी ग्राम व पोस्ट व तहसील पारसी सिवनी जिला नागपुर महाराष्ट्र

7... कौशल्याबाई पुत्री मुन्नालाल पत्नी मदनलाल पालीवाल, निवासी ग्राम व तहसील आव्रो जिला बरधा महाराष्ट्र

———अनावेदकगण

8.. कुंजबिहारी पुत्र श्री शंकरलाल पालीवाल

9.. मुन्नीबाई पुत्री श्री शंकरलाल पालीवाल

10. दुर्गाबाई पुत्री श्री शंकरलाल पालीवाल

समस्तनिवासीगण – ग्राम मुगलसराय तहसील सिरौंज जिला विदिशा

................प्रोफार्मापक्षकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार मण्डल –3 सिरौज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 50/A-27(2)/2017–18 मे पारित आदेश दिनांक 08/06/18 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अनावेदक कमांक 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म.प्र. भू. राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया कि स्थित ग्राम मुगलसराय, तहसील सिरौंज मे सर्वे नं. 526, 538, 551, 647, 683, 742, 743, 745, 824, 825, 826, 830, 831, 839 कुल 14 किता रकवा 16.920 हैक्टेयर लगान 196.44 वैसा आवेदक एंव अनावेदकगण के नाम सम्मिलित खाता मे अंकित है, जिसको मौका पर वाह भी बटवारा तथा कब्जा एंव अधीपत्य अनुसार उक्त खाता सें विधिवत बॅटवारा कराकर पृथक खाता कायम करना चाहता है।
2. यहकि, आवेदकगण द्वारा जबाव प्रस्तुत किया कि अनावेदक का आवेदन प्रारंभिक रूप से चलने योग्य नही है क्योकि पुर्ण विवरण दावे मे नही जिखा है जो छिपाया गया है अनावेदकगणो के पते नही लिखे है अधिकांश अनावेदकगण बाहर रहते है जो कि महाराष्ट्र मे रहते है कुछ नागपुर मे रहते है इन सभी के सही पते नही दिए गए है

XXIX(a)-BR(H)-11

336

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4303/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१9 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	